2021/462

फर्द अहकाम

(नियम–26)

11.11.21

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण **प्रतिवादीगण**

होशयारी **बनाम** **नानूराम वगैरह**

किस्म प्रकरण : वाद पत्र संख्या – 01/2021

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
11.11.2021	यह वाद वादीनी होशयारी ने स्वयं द्वारा कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत गुगरियाली में उपस्थित होकर अधीन धारा 88 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर किया जावे, संबंधित प्रतिवादीगण सूचित हो।	–
11.11.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीनी उपस्थित तथा प्रतिवादीगण 1 संख्या 5 स्वयं उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 6 तहसीलदार जायल को परफोर्मा पक्षकार संयोजित किया गया है। पक्षकारान ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 6 परफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजीनामा पेश किये जाने तनकीयात/साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रकरण वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। साक्ष्य वादी में शपथ पत्र गवाह वादीनी होशयारी के पेश हुये। साथ ही वादग्रस्त खेतायों के संबंध में प्रस्तुत पत्रावली में सलग्न दस्तावेजात, नकल जमाबंदी खाता संख्या 890 ग्राम गौराऊ समवत् 2073–2076 प्रदर्श–1 कराई। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवं वादीनी के मध्य राजीनामा होने से साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। अतः साक्ष्य वादी एवं साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाती है। मिसल वास्ते बहस नियत की गई। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण में वादीनी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के साथ वादग्रस्त खेत खसरा नं. 697, 717 ग्राम गौराऊ तहसील जायल में सहखातेदार दर्ज होना चाहती है, जो कि जरिये फौतगी नामान्तकरण में सहवन से नाम छूट जाने के कारण दर्ज नहीं है। इसलिए हम वादीनी के द्वारा चाही गई इस्तदुआ स्वीकार योग्य प्रतीत होती है। तथा वादीनी का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया।	(अं.नि. होशयारी) (अं.नि. नानुराम) (अं.नि. श्रीराम) (अं.नि. लादुराम) (अं.नि. सपाराम) (अं.नि. सोहनराम)

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर, कैम्प कोर्ट–गुगरियाली
बइजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादी – राजस्व **वाद संख्या : 01/2021**

1. **होशयारी** देवी पत्नी भागीरथराम
जाति–जाट, निवासी– गौराऊ

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. **नानूराम** पुत्र पुसाराम
2. **बिजाराम** पुत्र पुसाराम
3. **लादूराम** पुत्र पुसाराम
4. **सदाराम** पुत्र भागीरथ
5. **सोहनाराम** पुत्र भागीरथ
6. **राजस्थान** सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थिति :–

1. **वादीनी स्वयं** उपस्थित दी
2. **प्रतिवादी** संख्या 1 से 5 स्वयं उपस्थित।
3. **प्रतिवादी** संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू **हमारे व हाजरी स्वयं वादीनी मिनजानिब** मुददई प्रतिवादीगण संख्या 1 से **5 स्वयं एवं प्रतिवादी संख्या 6 राज पैरोकार** उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश **होकर हुक्म दिया जाता है कि –**

मौजा गौराऊ तहसील जायल के खाता संख्या **890 में वर्णित खसरा नं. 697, 717 की भूमि** में दर्ज खातेदार प्रतिवादी संख्या **1 से 5 क्रमशः** नानूराम, **बिजाराम, लादूराम**, सदाराम व सोहनाराम के साथ **वादीनी होशियारी देवी को सहखातेदार घोषित** किया जाता है तथा वादीनी होशयारी **देवी का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या** 1 से 3 का 1/4 – 1/4 हिस्सा तथा **प्रतिवादी संख्या 4 व 5** का 1/12 – 1/12 हिस्सा घोषित किया जाता है।

11/11/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं **उपखण्ड अधिकारी**
जायल (नागौर)

तीज — **मुबलिग** — **बाबत्** —खर्चा इस मुकद्दमे **के मय व शरह** — **सालाना** आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। **बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर** अदालत के आज तारीख ..11/11/2024.. को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	**रूपया**	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिष्नर			फीस कमिष्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :—**इस** वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन **का, चाहे** डिकरे के जरिये **दिलाया गया** हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

11/11/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक **कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी**
जायल (नागौर)